न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ.बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 09/2025

जी.सी.एम.एस. : 2025/107

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
गीता गर्ग पत्नी रामेश्वर गर्ग, जाति गारो निवासी शैखावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली, हाल निवासी पी नं. 1 – सी, 5/7, पृथ्वी राज नगर, झालामण्ड, जोधपुर (राज.)		1. तिलोकराम पुत्र पुखाराम जाति सरगरा, निवासी शैखावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली 2. नायब तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन (पाली)।

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट स्वयं उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25/03/2025

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम शेखावास के नामान्तरकरण संख्या 1003 दिनांक 01.06.2023 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सम्मन तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया ग्राम शेखावास तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 74 रकबा 8.4781 हैक्टेयर का 1/24 हिस्सा के खातेदार विक्रेता तिलोकराम पुत्र पुखाराम जाति सरगरा, निवासी शेखावास तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली के खातेदारी का हिस्सा जरिये पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 19.01.2023 को खरीद किया था। विक्रय–विलेख दिनांक 19.01.2023 का नामान्तरकरण दर्ज करते समय नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के द्वारा उक्त भूमि का हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/96 अंकित हो गया जो कि विक्रय–विलेख के विपरीत है। इसलिये रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा विधिविरूद्ध स्वीकृत अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर नामान्तरकरण पंजीबद्ध विक्रय–विलेख दिनांक 19.01.2023 के अनुरूप नहीं भरा गया है, जिसमें बेचान दस्तावेज अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अति. जिला कलेक्टर पाली

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम शेखावास के नामान्तरकरण संख्या 1003 दिनांक 01.06.2023 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र केसम्बन्ध में अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 19.01.2023 के अनुसार ग्राम शेखावास तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 74 रकबा 8.4781 हैक्टर का 1/24 हिस्सा भूमि का बेचान रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तिलोकराम ने अपीलाण्ट गीता गर्ग के पक्ष में कर दिया, जिसका कब्जा खरीदकर्ता को सुर्पूद कर दिया गया है।

हस्तगत प्रकरण में विवादस्त नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह पाते है कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में आम मुख्तियार रजिस्टर्ड विक्रय विलेख अंकित किया और अपीलाण्ट को जैर आराजी में 1/96 हिस्से का बतौर खातेदार दर्ज किया गया जबकि पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 19.01.2023, आम मुख्तियार से पंजीबद्ध न होकर खातेदार से सीधे रजिस्ट्री करवायी गयी और खातेदार द्वारा अपने हिस्से में से 1/24 भाग का बेचान अपीलाण्ट को किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के जैर नामान्तरकरण की प्रति के अवलोकन से यह महसूस होता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर कोई अवसर नहीं दिया गया। प्रश्नगत आराजी का रजिस्टर्ड बेचान होने के उपरान्त उसी अनुरूप नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना था परन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया हालांकि नामान्तरकरण एक समरी प्रोसिडिंग है तथा नामान्तरकरण से अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, किन्तु नामान्तरकरण के द्वारा विधि विरूद्ध प्रविष्ठि को किसी भी रूप में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में जो रजिस्टर्ड बेचान हुआ है, वह एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जो सक्षम न्यायालय से डिस्क्रेड़िट नहीं होने से आज भी प्रभाव में है। प्रकरण में अपीलाण्ट का जैर आराजी में हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/96 अंकन होना प्रथम–दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानीपूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली

अति. जिला कलेक्टर पाली

दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन नामान्तरकण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम शेखावास के नामान्तरकरण संख्या 1003 दिनांक 01.06.2023 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे प्रकरण में रेकर्ड की जांच एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलैक्टर पाली